

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व०रे०/17/525

दिनांक:- 9/8/17

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/रेडियोग्राफर/16/636 दिनांक 16.11.16 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर रेडियोग्राफर से वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री नरेश सिंह राजपूत	पीएमओ गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर	मुचिएवंस्वाअ० करौली के अधीन
2	श्री रामलाल वर्मा	सामु० स्वा० केन्द्र तालेडा, बून्दी	मुचिएवंस्वाअ० बून्दी के अधीन
3	श्री बाबूलाल सैनी	सामु० स्वा० केन्द्र तिजारा, अलवर	मुचिएवंस्वाअ० अलवर के अधीन
4	श्री श्यामबिहारी लाल	सामु० स्वा० केन्द्र सुमेरपुर, पाली	मुचिएवंस्वाअ० पाली के अधीन
5	श्री वीरी सिंह	सामु० स्वा० केन्द्र कालिन्दी, सिराही	मुचिएवंस्वाअ० दोसा के अधीन
6	श्री मेघराम मृणा	सीएचसी बडी सादडी, चित्तौडगढ	मुचिएवंस्वाअ० चित्तौडगढ के अधीन
7	श्री मिथलेश कुमार	पी०एम०ओ० करौली	पी०एम०ओ० करौली
8	श्री जयप्रकाश अवस्थी	सामु० स्वा० केन्द्र खेरली, अलवर	पीएमओ अलवर
9	श्री महेन्द्र सिंह पंवार	अधीक्षक एम०बी० चिकि० उदयपुर	मुचिएवंस्वाअ० उदयपुर के अधीन
10	श्री कृष्ण कुमार बैरवा	जे०एल०एन० मेडिकल कॉलेज, अजमेर	मुचिएवंस्वाअ० अजमेर के अधीन
11	श्री रामधन जाट	सामु० स्वा०केन्द्र उनियारा, टोंक	पीएमओ टोंक के अधीन

12	श्री गोवर्धनलाल शर्मा	सामु0 स्वा0 केन्द्र राशमी, चित्तौडगढ	पीएमओ चित्तौडगढ
13	श्री सत्यपाल	पीएमओ राजसमन्द	पीएमओ राजसमन्द
14	श्री पूरणमल शर्मा	सामु0 स्वा0 केन्द्र थानागाजी अलवर	मुचि एवं स्वाअ0 अलवर के अधीन
15	श्री टुण्डाराम मीणा	अधीक्षक, एस0एम0एस0 चिकि0 जयपुर	अधीक्षक, जनाना अस्पताल जयपुर
16	श्री घनश्याम असावा	क0रा0बी0 चिकि0 बापूनगर भीलवाडा	मुचि एवं स्वाअ0 भीलवाडा के अधीन
17	श्री बंशीलाल	अधीक्षक, एम0बी0 चिकि0 उदयपुर	मुचि एवं स्वाअ0 उदयपुर के अधीन

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदौन्नति स्थान पर दिनांक 25.8.17 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदौन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदौन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये। इस आशय का संबंधित कर्मचारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जाएगा।

(राकेश शर्मा)

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0रे0/17/525

दिनांक:- 9/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
- 2- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
- 4- संबंधित अधिकारीगण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
- 5- प्रभारी सर्वरूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 6- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 7- आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर